संख्या- 57/2015/648/एक-6-2015-124(6)/89-309

प्रेषक,

डी0 के0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 16 जुलाई, 2015**

विषय:- अनुभाग अधिकारी से उच्च एवं अनु सचिव से निम्न वेतनमान के पदों पर कार्यरत अधिकारियों को विशेष भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व परिषद के पत्र संख्या-550 आर/1-16जी/2009, दिनांक 21 मई, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ/इलाहाबाद में कार्यरत अनुभाग अधिकारी से उच्च एवं अनु सचिव से निम्न वेतनमान के पदों पर कार्यरत सहायक सचिव/निबन्धक/प्रलेखीकरण अधिकारी एवं समकक्ष पदों पर कार्यरत, जो वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 तथा ग्रेड वेतन रू0-5400/- के पद धारक हैं, को वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-227/दस-09-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 02 फरवरी, 2009 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त पद पर कार्यरत पद धारकों का दिनांक 01-12-2008 से अथवा उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से विशेष भत्ता रू0 1500/- अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त के संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राजस्व परिषद से संबंधित पदों पर विशेष भत्ता तभी अनुमन्य होगा जब कि उनके द्वारा धारित पद राजस्व परिषद के स्तर पर सृजित हुये हों और उक्त पदों का वेतन आहरण राजस्व परिषद के बजट से किया जा रहा हो। साथ ही संबंधित अधिकारियों को संशोधित दरो पर इस विशेष भत्ते के अतिरिक्त राजस्व परिषद में तैनाती के फलस्वरूप मिल रहा अन्य कोई विशेष भत्ता/वेतन अनुमन्य नहीं रह जायेगा।

3- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-198/दस-15 दिनांक 25 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0 के0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in